पत्रांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2019 का0 6878,

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची।

दिनांक– 30/08/2019

विषय :– स्थानीय जांच के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अद्यतन अनुदेश एवं प्रपत्र जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र की कंडिका 13 के अनुसार झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित कोई व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त कंडिका–6 (घ) में उल्लिखित भू–अभिलेख / रेकर्ड ऑफ राइटस / भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति / संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया अपना कर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।

स्थानीय जांच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित करने का मामला सरकार के समक्ष पर विचाराधीन था। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस सेवा अर्थात् स्थानीय जांच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अधिकतम समय–सीमा 45 दिनों की होगी।

विभागीय परिपत्र की कंडिका 13(i) में स्थानीय जांच हेतु आवेदक को अपनी जाति विशेष के संबंध में नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र का आदर्श प्रारुप भी संलग्न किया जा रहा है।

अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत उपरोक्त निर्धारित समय–सीमा के भीतर स्थानीय जांच की प्रक्रिया पूरी करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/8/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

E:\chandan\letter 2019.docx

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के आलोक में जाति निर्धारण हेतु स्थानीय जांच हेतु शपथ पत्र का आदर्श प्रारुप

(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं .... पिता श्री.. वर्तमान में ग्राम / शहर.., पोस्ट.................................... थाना.............. .... प्रखण्ड..अनुमंडल..................................... जिला..... .... राज्य.................................... में निवास करता / करती हूँ।

2. मैं / मेरे पूर्वज वर्ष .... से ग्राम / शहर.., पोस्ट.., थाना.............................., प्रखण्ड.., अनुमंडल...................................., जिला.. राज्य................................ में स्थायी रुप से निवासित रहे है।

3. मेरे पिता की जाति .... है, जो झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) अथवा झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है।

4. मुझे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका–13 के आलोक में स्थानीय जाँच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि:–

(क) मैं / मेरे पूर्वज के पास भू–अभिलेख / रेकर्ड ऑफ राइट्स / भूमि निबंधन कागजात नहीं है।

(ख) मैं / मेरे पूर्वज के भू–अभिलेख / रेकर्ड ऑफ राइट्स / भूमि निबंधन कागजात में अंकित जाति में संशय की स्थिति है।

(ग) मैं / मेरे पूर्वज भूमिहीन हैं।

(जो लागू न हों, उसे काट दिया जाय।)

5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर